

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
मुस्कान कुमारी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 4402
में

2024 का आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 207

के साथ में

2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 3159

20 नवंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या अपीलकर्ताओं को कम गंभीर अपराधों के लिए दोषसिद्धि उचित थी जब बलात्कार जैसे गंभीर आरोप थे?
- क्या अभियोजन की कहानी चिकित्सा और दस्तावेज़ी साक्ष्य की कसौटी पर खरी उतरी?
- क्या दीर्घकालिक भूमि विवाद और शत्रुता ने पीड़िता के आरोपों को अविश्वसनीय बना दिया?

हेडनोट्स

पीड़िता और आरोपी पक्षों के बीच आपराधिक और दीवानी मामलों की श्रृंखला, तथा किसी भी प्रकार की यौन हिंसा — यहां तक कि सामूहिक बलात्कार — का कोई संकेत न मिलना, पीड़िता की गवाही को पूर्णतः अविश्वसनीय बना देता है। (अनुच्छेद 76)

पीड़िता और उसकी माता की गवाहियाँ इतनी असमंजस पूर्ण हैं कि वे अभियोजन की मूल कहानी से मेल नहीं खातीं। (अनुच्छेद 79)

साक्ष्य इतने दुर्बल हैं कि उनसे अपीलार्थियों को लघु अपराधों में भी दोषसिद्ध ठहराना उचित नहीं ठहराया जा सकता। (अनुच्छेद 83)

अपील खारिज की जाती है। (अनुच्छेद 84)

अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन को पूर्णतः निराधार पाकर, न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश को निरस्त करता है तथा अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी करता है। (अनुच्छेद 86)

न्याय दृष्टांत

राजेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 12 एससीसी 200; महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन, (1990) 1 एससीसी 550; वेदिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1957 एससी 614; मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1965 एससी 202

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; पोक्सो अधिनियम, 2012; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

सामूहिक बलात्कार; चिकित्सकीय विरोधाभास; धारा 372 दंप्रसं; धारा 376 भा.दं.सं.; भूमि विवाद के कारण शत्रुता; धारा 53(क) दंप्रसं; फर्दबयान में विरोध; जांच की खामियाँ; दीवानी मुकदमा; प्रतिरोधी एफआईआर

प्रकरण से उत्पन्न

बिदुपुर थाना कांड संख्या 238/2021, जिला वैशाली; दिनांक 05.05.2021 की कथित घटना जिसमें सामूहिक बलात्कार एवं मारपीट के आरोप लगे थे

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(क्रिमिनल अपील (खं. पी.) संख्या 207 / 2024 में)

अपीलकर्ता की ओर से : श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
 प्रत्युत्तरकर्ता की ओर से : श्री मुकेश्वर दयाल, अपर लोक अभियोजक
 (क्रिमिनल अपील (ए.न्या.) संख्या 3159 / 2023 में)
 अपीलकर्ताओं की ओर से : श्री एस. के. लाल; श्री रविश मिश्रा; सुश्री
 कीर्तिका साक्षी, अधिवक्ता
 प्रत्युत्तरकर्ता की ओर से : श्री मुकेश्वर दयाल, अपर लोक अभियोजक
 सूचनाकर्ता की ओर से : सुश्री वंदना कुमारी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) संख्या 4402

में

2024 का आपराधिक अपील (खण्डपीठ) संख्या 207

थाना कांड संख्या-238 वर्ष-2021 थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली से उत्पन्न

=====
 मुस्कान कुमारी पिता- अनिल कुमार सिंह, गायत्री देवी माता मुस्कान कुमारी
 के संरक्षण में, निवासी- चेचर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली (हाजीपुर)

अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. संजीव कुमार सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह निवासी-चेचर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली (हाजीपुर)।
3. राजू सिंह पुत्र जुगल किशोर सिंह उर्फ जद्दु सिंह निवासी-चेचर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली (हाजीपुर)।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2023 का आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 3159

थाना कांड संख्या-238 वर्ष-2021 थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली से उत्पन्न

=====

1. संजीव कुमार सिंह पिता- हरेंद्र सिंह निवासी-चेचर, थाना- बिददुपुर, जिला- वैशाली (हाजीपुर)।
2. राजू सिंह पिता- जुगल किशोर सिंह उर्फ जदु सिंह निवासी-चेचर, थाना- बिददुपुर, जिला-वैशाली (हाजीपुर)।

अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2024 के आपराधिक अपील (खं. पी.) सं. 207 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मुकेश्वर दयाल, अ.लो.अ.

(2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 3159 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री एस. के. लाल, अधिवक्ता
श्री रवीश मिश्रा, अधिवक्ता
सुश्री कीर्तिका साक्षी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की लिए : श्री मुकेश्वर दयाल, अ.लो.अ.

सूचना देने वाले के लिए : सुश्री वंदना कुमारी, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तारीख: 20-11-2024

संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह ने 2023 का आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 3159 दायर की थी, जिसमें सजा के निलंबन की प्रार्थना को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. इस मामले के अभियोजिका ने भी उसी निर्णय के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा 372 के अंतर्गत आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 207/2024 दायर किया है, जिसमें शिकायत है कि उक्त दोनों अपीलकर्ताओं को केवल कम गंभीर अपराधों में ही दोषी ठहराया गया है।

3. चूँकि ऊपर उल्लिखित द.प्र.सं. की धारा 372 के तहत अपील एक खंड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी, इसलिए संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह के आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 3159/2023 को भी अभियोजिका पक्ष द्वारा द.प्र.सं. की धारा 372 के तहत दायर अपील के साथ संलग्न किया गया है।

4. हमने दोनों अपीलों को एक साथ सुना है।

5. अपीलार्थी/संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह [2023 का आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 3159] का प्रतिनिधित्व श्री एस. के. लाल ने किया है, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री रवीश मिश्रा ने की है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण 2024 के आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 207 में अभियोजिका की ओर से पेश हुए हैं।

6. राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान अ.लो.अ. श्री मुकेश्वर दयाल कर रहे हैं।

7. हम पहले अपीलार्थियों/संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह की अपील पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

8. अपीलार्थियों/संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह को भा.दं.सं. की धारा 323, 341, 342, 354 (ए) और 354 (बी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जो पॉक्सो जी.आर. सं. 19/2021 से संबंधित है और बिदुपुर थाना कांड सं. 238/2021 से उत्पन्न हुआ था, जिसे माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा पारित किया गया। दिनांक 08.06.2023 के आदेश के अनुसार उन्हें, धारा 354 (ए) भा.दं.सं. के तहत तीन वर्ष की सश्रम कारावास तथा ₹5000/- का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर तीन माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने; धारा 354 (बी) भा.दं.सं. के तहत छह वर्ष की सश्रम कारावास तथा ₹10,000/- का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने; एवं धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन वर्ष की सश्रम कारावास तथा ₹5000/- का जुर्माना लगाया गया है, जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर तीन माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई।

9. दोनों अपीलकर्ताओं को भा.दं.सं. की धारा 323 एवं 341 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के लिए ₹500/- का जुर्माना अदा करने तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक दिन का साधारण कारावास भुगतने की सजा दी गई है और धारा 342 के अंतर्गत ₹1000/- का जुर्माना अदा करने तथा

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में पांच दिन का साधारण कारावास भुगतने की सजा दी गई है।

10. सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

11. अभियोजिका (अ.सा. 1) ने 05.05.2021 को लगभग आठ व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने की भयावह कहानी बताई है, जिनमें से केवल अपीलकर्ता/संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह को ही दोषी ठहराया गया है।

12. यह उनके द्वारा अपने फर्दबयान में आरोप लगाया गया था, जिसे महिला थाना, बिहुपुर की पुलिस अधिकारी सरिता चौधरी द्वारा लिपिबद्ध किया गया था, कि जब वह अपने पुराने घर में दरवाजा बंद करने के लिए रुकी और उसकी माँ आगे बढ़ गई, तो अभियुक्त अरुण कुमार सिंह, हर्ष कुमार, यश कुमार और अपीलार्थी/राजू सिंह ने जबरन उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने उसकी शील भंग करने की भी कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसके कपड़े खींच लिए गए और फाड़ दिए गए। उसे गालों और उंगलियों पर काटा गया था। वह बेहोश हो गई। उस अवस्था में, आरोपी राजीव कुमार, अपीलार्थी/संजीव कुमार सिंह, अभिषेक कुमार और अमन ने उसके साथ बलात्कार किया।

13. एक शवयात्रा निकल रही थी। अभियोजिका की मां (अ.सा. 2) भी उस समय तक घटनास्थल पर पहुंच चुकी थीं। अंत्येष्टि जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों की मदद से पीड़िता/अभियोजिका को बचाया जा सका। पीड़िता का दावा है कि वह पूरी तरह से अस्त-व्यस्त अवस्था में थी। उसका निजी सामान जैसे उसके गहने और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया।

भीड़ में से कोई उसे बिहुपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहाँ उसे भर्ती कराया गया। इसके बाद वह बेहोश हो गई और इसलिए उसे पता नहीं क्या हुआ।

14. हालाँकि पीड़िता के पूर्व उल्लिखित फरदबेयान में कोई तारीख प्रदान नहीं की गई है, लेकिन 2021 के बिहुपुर थाना मामला सं. 238 दिनांक 05.05.2021 के माध्यम से भा.दं.सं. की धारा 341, 323, 325, 376, 379 और 34 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत अपराधों की जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था।

15. घटना की जानकारी उसी दिन लगभग रात करीब 8:00 बजे पुलिस स्टेशन पहुंची और प्राथमिकी का पंजीकरण इस तरह की जानकारी के साथ समकालीन था। पीड़िता के साथ एक पुराने/जर्जर पोल्ट्री फार्म में सामूहिक बलात्कार किया गया था जो उपयोग में नहीं था।

16. प्राथमिकी के मात्र अवलोकन से एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसियों और सहयोगियों द्वारा सामूहिक बलात्कार की दुखद कहानी दिखाई देगी। हालाँकि, मामले के अभिलेखों पर एक नज़र डालने से पता चलता है अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों (जिनके खिलाफ जांच अभी भी लंबित है) के खिलाफ एक बिल्कुल झूठा मामला दर्ज किया गया है, जो कि पुराने भूमि विवाद के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक मामले, स्वामित्व मुकदमा और धारा 144 द.प्र.सं. कार्यवाही शुरू हुई है।

17. इससे पहले कि हम गवाहों के बयान की जांच करें, सबसे पहले डॉ. श्वेता शालिनी (अ.सा. 7) के साक्ष्य को देखना प्रासंगिक होगा, जिन्होंने 05.05.2021 को लगभग 1.30 बजे पीड़िता की जांच की थी।

18. यह रिपोर्ट इस बात का भी सही विवरण नहीं है कि पीड़िता को क्या चोटें आई थीं।

19. बाहरी जाँच में, पीड़िता के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई चोटें देखी गईं।

20. हमें इस अवलोकन के बारे में कुछ संदेह है क्योंकि अ.सा. 7 ने यह कहने में पर्याप्त स्पष्टता दिखाई है कि चोटों को रेप प्रोफार्मा मेडिकोलेगल सर्टिफिकेट में नोट किया गया था, जिसकी एक-एक प्रति पुलिस और पीड़िता को सौंपी गई थी।

21. अगले ही पल, अ.सा. 7 ने खुलासा किया कि किसी भी चोट का कोई सबूत नहीं था। हाइमेन सामान्य लग रहा था। योनि के स्वाब को पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा गया, जिन्होंने किसी भी गतिशील/गैर-गतिशील शुक्राणु की अनुपस्थिति की सूचना दी।

22. दंत चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर, पीड़िता की दंत आयु का आकलन 17 से 18 वर्षों के बीच किया गया था। रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट ने बताया कि पीड़िता की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच थी। दोनों रिपोर्टों और पीड़िता की शारीरिक जांच को मिलाकर, अ.सा. 7 की राय थी कि पीड़िता की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच थी। इसके बाद, अ.सा. 7 ने फिर से एक विरोधाभासी बयान दिया कि कई बाहरी चोटें थीं। हालाँकि, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाल ही में किसी भी यौन गतिविधि का कोई सबूत नहीं था।

23. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने जोर देकर कहा कि उसकी रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में यौन गतिविधि का कोई संकेत नहीं था। हाइमेन

बरकरार था और सामान्य लग रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में शरीर के उन अंगों के बारे में नहीं बताया जिन पर कई चोटों की सूचना मिली थी। पीड़िता की आंतरिक जांच में, उसने सब कुछ सामान्य पाया था।

24. पीड़िता के शरीर पर कई चोटों के संबंध में यह रिपोर्ट बिल्कुल विरोधाभासी होने के बावजूद, जो बात स्पष्ट रूप से सामने आती है वह यह है कि भले ही घटना के दिन पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की गई थी, लेकिन, आठ व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार के स्पष्ट आरोप के खिलाफ पीड़िता पर हाल ही में किसी भी यौन हिंसा का कोई संकेत नहीं था।

25. हम कानून की स्थिति से अवगत हैं कि किसी भी यौन हिंसा के किसी भी निशान की अनुपस्थिति मामले के झूठे होने के किसी भी निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएगी। फिर भी, अपीलार्थियों और छह अन्य लोगों के खिलाफ पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने के इस तरह के विशिष्ट आरोप के साथ; चिकित्सा रिपोर्ट और अ.सा. 7 के साक्ष्य से पता चलता है कि आरोप गलत है।

26. हम यह इस कारण से भी कहते हैं कि पीड़िता के फर्दबयान के अनुसार, उसे बिदुपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उसे बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया था। यदि यह सच होता, तो अ.सा. 7 ने इस तरह से रिपोर्ट नहीं की होती।

27. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, सरिता चौधरी, जिन्होंने पीड़िता द्वारा वर्णित फर्दबयान लिखा था, से पूछताछ नहीं की गई है।

28. जांचकर्ता चंद्रावती कुमारी (अ.सा. 6) ने हालांकि बयान दिया है कि उन्होंने जांच की और पीड़िता के फरदबयान को देखा और गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें भोला सिंह, शंकर सिंह (जो आपस में भाई हैं और जिनकी अ.सा. 3 और 4 के रूप में जांच की गई है); गायत्री देवी (मां-अ.सा. 2) और त्रिभुवन प्रसाद सिंह (अ.सा. 5) शामिल हैं।

29. जैसा कि फरदबयान में आरोप लगाया गया है, अ.सा. 6 ने आपात स्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल चेचर गाँव के चौराहों से लगभग 300 से 400 मीटर उत्तर में स्थित था। वहाँ दिलीप कुमार नामक व्यक्ति का एक अप्रयुक्त मुर्गी फार्म था। बिना समय बर्बाद किए, उन्होंने हाजीपुर के सदर अस्पताल में पीड़िता की चिकित्सा जांच भी कराई। साथ ही, द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान भी एक साथ दर्ज किया गया था। इसके बाद अपीलार्थी/संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

30. हालाँकि, उसने घटनास्थल का कोई स्थल मानचित्र नहीं बनाया था और उसने यह दावा भी नहीं किया था कि उसे उस स्थान पर अपराध होने का कोई सबूत मिला है। उसने पीड़िता की कोई चोट रिपोर्ट जारी नहीं की जिससे पता चलता है कि उसने उस पर कोई चोट नहीं देखी थी।

31. वह इस तथ्य से अवगत थी कि उसी दिन एक घटना के संबंध में, एक आयुष राज उर्फ यश, जो अरुण सिंह के पोते हैं, ने पीड़िता, उसके माता-पिता, उसके भाइयों और अन्य के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 323, 341, 324, 307, 379, 504 और 506/34 के तहत मामला दर्ज किया था।

यह घटना खेत में गेहूं की फसल की कटाई के संबंध में एक विवाद के कारण हुई थी।

32. अ.सा. 6 ने यह भी कहा कि पीड़िता ने अपने 164 के बयान में उस पर किसी भी बलात्कार के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है।

33. इन कारणों से, अ.सा. 6 ने अपीलार्थियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 376 या 376/511 के तहत आरोप पत्र दायर नहीं किया था।

34. पुलिस के कागजातों को देखने पर, उसे याद आया कि पुलिस के कागजात में पीड़िता के खिलाफ बलात्कार के आरोप की पुष्टि या किसी भी चोट से संबंधित कोई तथ्य दर्ज नहीं किया था। इसके विपरीत, उसने पाया कि अरुण सिंह की पत्नी सुनैना ने अनिल सिंह (पीड़िता के पिता) और त्रिभुवन प्रसाद सिंह (अ.सा. 5) के खिलाफ एक मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया था, जो सक्षम दीवानी अदालत के समक्ष विचाराधीन था।

35. उन्हें पक्षकारों के खिलाफ 144 कार्यवाही के परिणाम के बारे में पता नहीं था। वह, एक जांचकर्ता के रूप में, इस तथ्य के बारे में नहीं जानती थी कि त्रिभुवन प्रसाद सिंह (अ.सा. 5) ने गायत्री देवी (पीड़िता की मां) से एक जमीन खरीदी थी, जो किसी तरह के विवाद में थी।

36. उसने पीड़िता के कपड़े जब्त नहीं किए थे।

37. मामले की निगरानी के दौरान, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक विशिष्ट टिप्पणी की कि जहां तक बलात्कार के आरोप का संबंध है,

मामला सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यह घटना खेतों में खड़ी गेहूं की फसल काटने की कोशिश कर रहे पक्षों से उत्पन्न विवाद को लेकर हुई थी।

38. जाँचकर्ता के इस बयान से वैध रूप से कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

39. जाँचकर्ता ने पीड़िता के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं देखी थी। वह इस तथ्य से अवगत थी कि एक मालिकाना हक का मुकदमा और पक्षों के बीच एक आपराधिक मामला लंबित था और उसके द्वारा पीड़िता के कपड़ों को जब्त करने या अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उनकी चिकित्सकीय जांच कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया था (जैसा कि द.प्र.सं. की धारा 53 (ए) के तहत अनिवार्य है), जो जांच प्रक्रिया में एक निर्णायक सबूत होता।

40. इस संदर्भ में, हमने देखा है कि बचाव पक्ष ने प्राथमिकियों को रिकॉर्ड पर लाया है (i) आयुष राज उर्फ यश द्वारा पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ दिनांक 05.05.2021 को दायर 2021 का बिदुपुर थाना मामला सं. 237; (ii) गाँव चेचर के बीरेंद्र कुमार द्वारा पीड़िता की माँ और भाइयों के खिलाफ दायर 2019 का बिदुपुर थाना मामला सं. 257; (iii) अरुण कुमार सिंह के खिलाफ पीड़िता की माँ द्वारा दर्ज 2018 का बीदुपुर थाना मामला सं. 431; (iv) अरुण कुमार सिंह द्वारा पीड़िता के पिता और भाइयों के खिलाफ 2019 का बिदुपुर थाना मामला सं. 169 और (v) अरुण कुमार सिंह द्वारा फिर से पीड़िता के पिता और भाइयों के खिलाफ दायर 2020 का बिदुपुर थाना मामला सं. 63।

41. इन प्राथमिकियों के साथ, बचाव पक्ष ने अरुण कुमार सिंह की पत्नी सुनैना द्वारा त्रिभुवन प्रसाद सिंह (अ.सा. 5) और पीड़िता परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ दायर 2018 के मालिकाना हक मुकदमा सं. 162 की वादपत्र भी रिकॉर्ड पर लाई है, इसके अलावा, द.प्र.सं. की धारा 144 की कार्यवाही के रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें प्रथम पक्ष पीड़िता की मां है और द्वितीय पक्ष अरुण कुमार सिंह है।

42. स्पष्टता के लिए, यहां यह कहा जाना चाहिए कि अरुण कुमार सिंह और आयुष राज उर्फ यश को पीड़िता ने अपराध के अपराधियों के रूप में नामित किया है, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत एकत्र नहीं किया जा सका है।

43. दो अपीलार्थियों के अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ-साथ पीड़िता और उसके परिवार के साथ संबंधों के बारे में हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, हमने अभिलेखों से पाया है, विशेष रूप से बचाव पक्ष के गवाहों के बयान से कि अरुण के दादा और अपीलार्थियों के दादा अपने भाई थे।

44. घटनाओं के इस क्रम से जो बात स्पष्ट रूप से सामने आती है वह यह है कि 05.05.2021 को, खेतों में एक घटना हुई थी जहां अरुण कुमार सिंह और उनके सहयोगी गेहूं की फसल काट रहे थे, जिस पर पीड़िता, उसके माता-पिता और उसके भाइयों ने आपत्ति जताई थी। इससे हाथापाई हो गई थी जिसमें अरुण के नाना आयुष राज उर्फ यश की बांह में चाकू लगने से गंभीर चोट लग गई थी।

45. ठीक उसी समय पीड़िता ने एक मामला भी दर्ज कराया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया था, जिसमें बेतहाशा आरोप लगाया गया था

कि अपीलार्थियों सहित आठ लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था।

46. हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि शत्रुता दोनों दोनों तरफ से होती है और शत्रुता की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को हमेशा अभियुक्त व्यक्तियों के बचाव के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान परिस्थितियों में, पीड़िता के विरोधाभासी बयानों के साथ (उसके 164 बयान का संदर्भ लें, जिसमें उसके द्वारा बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था), हम पाते हैं कि यह एक घृणित तरीका था जिससे पीड़िता का परिवार शत्रुता का बदला लेना चाहता था या आयुष उर्फ यश, अरुण कुमार सिंह और अन्य लोगों द्वारा दर्ज किए गए मामलों में उनके लिए बचाव करना चाहते थे, जिनके बारे में हमने पहले उल्लेख किया है।

47. जिस बात ने हमें और अधिक प्रभावित किया वह यह है कि पीड़िता ने घटना की तारीख और समय के बारे में बात नहीं की। हालाँकि उन्होंने अपने फ़र्दबेयान में जो खुलासा किया वह यह था कि उन्हें सबसे पहले बिदुपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जिसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसा होता, तो जांचकर्ता ने निश्चित रूप से इसके बारे में उल्लेख किया होता।

48. क्या पीड़िता को हाजीपुर के सदर अस्पताल में भेजा गया था या क्या उसे जांचकर्ता के कहने पर वहां ले जाया गया था, यह अभी तक अज्ञात है।

49. यह अभियोजन पक्ष के मामले की नींव को हिलाता है, जिससे अपीलकर्ताओं को यह टिप्पणी करने का औचित्य मिलता है कि पीड़िता

पूरी तरह से अविश्वसनीय है और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उसके बयान पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

50. साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 साक्ष्य को परिभाषित करती है जिसे मोटे तौर पर मौखिक और दस्तावेजी में विभाजित किया गया है। अधिनियम के तहत साक्ष्य साधन, कारक या सामग्री है, जो किसी तथ्य के अस्तित्व के लिए तार्किक अनुमान के माध्यम से संभावना की एक निश्चित सीमा प्रदान करता है। यह एक प्रक्रियात्मक कानून है जो मूल कानून को उजागर करता है और जोड़ता है। इस प्रकार, साक्ष्य और इसका संग्रह न तो पूरी तरह से प्रक्रियात्मक है और न ही मूल है, बल्कि दोनों के जाल को दर्शाता है।

51. यदि ऐसा आरोप साबित हो जाता है तो अदालत उस साक्ष्य पर भरोसा करेगी। साक्ष्य किसी तथ्य के अस्तित्व को तय करने में न्यायालय को विवेक और लचीलापन देता है। इस तरह के साक्ष्य परिस्थितिजन्य; पुष्टिकारक; व्युत्पन्न; प्रत्यक्ष; दस्तावेजी; सुनी-सुनाई; अप्रत्यक्ष; मौखिक; अनुमानित; प्राथमिक; माध्यमिक आदि हो सकते हैं। ये संभाव्यता की सीमा को बढ़ाकर किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने में साक्ष्य का पूरक हैं।

52. उच्चतम न्यायालय ने *राजेश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 12 एस. सी. सी. 200*, में किसी भी साक्ष्य के संभावित मूल्य पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने समक्ष मामलों का संभाव्यता की सीमा पर विश्लेषण करके किसी तथ्य के अस्तित्व के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे।

साक्ष्य के कानून के संपूर्ण अधिनियमन का उद्देश्य न्यायालय को तथ्य को साबित करने में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सुविधा प्रदान करना है।

53. दो तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा न्यायालय से इस तरह के निर्णय पर आने की उम्मीद की जाती है। यह केवल अपने सामने के मामलों पर विचार करके, एक राय बनाने में कि यह मौजूद है, एक तथ्य के अस्तित्व पर एक निष्कर्ष पर आ सकता है। न्यायालय का यह विश्वास उसके समक्ष मामलों के मूल्यांकन पर आधारित है। वैकल्पिक रूप से, न्यायालय एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के दृष्टिकोण से उक्त अस्तित्व को संभावित मान सकता है, जो इस धारणा पर कार्य कर सकता है कि यह मौजूद है।

54. विकल्पों के चयन के बारे में सवाल यह तय करने के लिए अदालत पर छोड़ दिया जाता है कि कौन सा निर्णय उसके सामने मामलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

55. यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि साक्ष्य की सराहना करते हुए, की तीन श्रेणियां होंगी, अर्थात्: जो पूरी तरह से विश्वसनीय, पूरी तरह से अविश्वसनीय और न तो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं।

56. यदि साक्ष्य, उसके आसपास के मामलों के साथ, न्यायालय को यह विश्वास दिलाता है कि यह एक मुद्दे के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय है, तो यह संभावना की डिग्री पर अपने अस्तित्व का फैसला कर सकता है। ऐसा ही मामला है जहाँ सबूत विश्वसनीय नहीं हैं। जब प्रस्तुत साक्ष्य न तो पूरी तरह से विश्वसनीय होता है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय होता है, तो इसके लिए पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे मामले में,

न्यायालय अन्य मामलों में उपलब्ध विरोधाभासों पर भी ध्यान दे सकता है (वेदिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर 1957 एस. सी. 614 का संदर्भ लें)।

57. इस पृष्ठभूमि में, हमने भोला सिंह और शंकर सिंह (क्रमशः अ.सा. 3 और 4) और त्रिभुवन प्रसाद सिंह (अ.सा. 5) की तुलना में पीड़िता (अ.सा. 1) और उसकी मां (अ.सा. 2) के साक्ष्य का विश्लेषण किया है।

58. पीड़िता ने विचारण अदालत के समक्ष अपने बयान में घटना का एक पूरी तरह से अलग संस्करण दिया जो उसने द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने सुनाया था, जहां उसने केवल अपने केवल अपने गालों और उंगलियों पर काटने और अपने मोबाइल फोन और गहने छीनने की बात कही थी। कुछ ही समय के भीतर, उसने अपने खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोप भी लगा दिया। वह 01.01.2007 पर पैदा होने का दावा करती है, जो तथ्य भी साबित और स्थापित नहीं किया जा सका।

59. हमें यहां यह बताना होगा कि बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता की इस जन्म तिथि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी। फिर भी, यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि पीड़िता नाबालिग थी।

60. अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ताओं सहित लगभग सभी आरोपी व्यक्ति उसके पड़ोसी और सगे भाई हैं। लेकिन बहुत आसानी से, उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ लंबित विभिन्न आपराधिक मामलों के बारे में अपनी अज्ञानता व्यक्त की, जिसे स्पष्ट रूप से उनके ध्यान में लाया गया था। हालाँकि, अदालत ने कटघरे में उससे कुछ असहज प्रश्नों की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसके आरोप का आधार यह था कि उसके सगे

भाइयों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसे पता नहीं था कि परिवार में कई मुकदमे थे, दीवानी और आपराधिक दोनों।

61. इसी तरह का बयान पीड़िता की मां (अ.सा. 2) द्वारा दिया गया है, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत, आयुष राज उर्फ यश द्वारा उसी दिन, यानी 05.05.2021 को दर्ज किए गए बिदुपुर थाना मामला सं. 237/2021 और अन्य मामलों में, जिनके बारे में पहले उल्लेख किया गया है, के अस्तित्व के बारे में स्वीकार किया है।

62. जिरह में उसके द्वारा एक और अजीब दावा किया गया है कि वह अपराध स्थल पर आधे घंटे की देरी से पहुंची, उसने पीड़िता को बेहोश पाया और भोला, त्रिभुवन और सत्रुहान आदि की मदद से उसे बिदुपुर अस्पताल ले गई। उसके सभी सहयोगी बिदुपुर अस्पताल से चले गए और पीड़िता लगभग आठ से नौ दिनों तक बेहोश रही। वह केवल हाजीपुर अस्पताल में होश में आ सकी, जहाँ उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिस पर उसने अपने अंगूठे का निशान भी लगाया था।

63. यह कालानुक्रमिक रूप से गलत है।

64. यह घटना 05.05.2021 पर हुई थी और फर्दबयान को भी 05.05.2021 को दर्ज किया गया था।

65. बिदुपुर स्वास्थ्य केंद्र की यात्रा की पूरी कहानी; पीड़िता आठ से नौ दिनों तक बेहोश रही और फिर उसके बाद जब उसे होश आया तो हाजीपुर के सदर अस्पताल में फर्दबयान की रिकॉर्डिंग सब झूठ है।

66. भोला सिंह (अ.सा. 3) एक पड़ोसी है, जो दावा करता है कि उसने पीड़िता को दिलीप सिंह के पोल्ट्री फार्म में बेहोश देखा था। उनका बयान 06.05.2021 को दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता (अ.सा. 3) के खिलाफ परमानंद सिंह द्वारा दर्ज 2018 के बिदुपुर थाना मामला सं. 277 के संबंध में, उन्होंने विचारण अदालत के समक्ष कहा कि पीड़िता के भाई को उस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

67. अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्त व्यक्ति किसी न किसी रूप में अरुण सिंह से संबंधित हैं। अ.सा. 3 का अपना भाई, शंकर सिंह (अ.सा. 4) पक्षद्रोही हो गया है। त्रिभुवन प्रसाद सिंह (अ.सा. 5), जो पीड़िता और उसकी माँ पर मुख्य प्रेरक प्रभाव होने का दावा करता है कि उसने उनसे (पीड़िता और उसकी माँ से) घटना और अपीलार्थियों के साथ-साथ अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त की है।

68. हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बचाव पक्ष के सात गवाहों के साक्ष्य से हम यह पता लगा सकते हैं कि त्रिभुवन ने गायत्री से एक जमीन खरीदी थी, जिस पर शायद अरुण और अन्य लोगों के साथ विवाद था। यही वह बात थी जिसने त्रिभुवन को मामला दर्ज कराने और ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष का गवाह बनने के लिए प्रेरित किया।

69. अपीलार्थियों/संजीव और राजू के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार यह कहते हुए अपनी दलील का समापन किया है कि मामला केवल झूठ का पुलिंदा है और अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

70. प्रस्तुतियों को चुनौती देते हुए, पीड़िता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण, जिन्होंने अपीलकर्ताओं के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 376 डी के तहत नहीं बल्कि कम अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है, ने तर्क दिया है कि पीड़िता, उसकी माँ और अन्य लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की निरंतरता को देखते हुए, चिकित्सा रिपोर्ट में किसी भी विसंगति को अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने की सीमा तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने उन्होंने *महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद्र जैन (1990) 1 एससीसी 550* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का भी उल्लेख किया है ताकि यह बात स्पष्ट हो सके कि यौन-अपराध की पीड़िता को सह-अपराधी के बराबर नहीं रखा जा सकता। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी भौतिक विवरणों में पुष्टि नहीं की जाती है।

71. वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य का वजन उतना ही होना चाहिए जितना शारीरिक हिंसा के मामले में घायल के साथ जुड़ा होता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी किसी घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में होनी चाहिए और उससे अधिक नहीं।

72. उन्होंने पूर्वनिर्दिष्ट मामले में उच्चतम न्यायालय के अवलोकन को आगे बढ़ाया है कि यह आवश्यक है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत और जागरूक होना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य के

साथ काम कर रहा है, जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है।

73. हालाँकि, फैसले के उसी पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ श्री नारायण द्वारा दिए गए प्रतिवाद तर्क का एक तैयार जवाब प्रदान करती हैं।

74. सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी की है कि अभियोजिका की गवाही को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। यदि मामले के अभिलेख पर दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोजिका का अभियुक्त व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को आम तौर पर उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

75. हम पहले ही मामले की परिस्थितियों पर ध्यान दे चुके हैं। पीड़िता के परिवार के बीच एक लड़ाई हुई थी, जिसमें खुद पीड़िता और इस मामले के एक नामजद आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से गैंगरेप में शामिल होने की बात सामने आई थी, यानी यश ने पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

76. इसके साथ, पक्षों के बीच आपराधिक और दीवानी मामलों की कड़ी और किसी भी यौन हिंसा का कोई संकेत नहीं, सामूहिक बलात्कार की तो बात ही दूर, पीड़िता के साक्ष्य को बिल्कुल अविश्वसनीय बनाता है।

77. ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उद्देश्य अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाना था।

78. हम भावनात्मक उथल-पुथल और उसके साथ छेड़छाड़ या बलात्कार होने पर एक अभियोजिका की मनोवैज्ञानिक चोट से अनजान नहीं हैं, बशर्ते कि वह इस तरह के अपराध का शिकार हुई हो। यौन-अपराध पीड़िता को निस्संदेह भारी अपमान की भावना का अनुभूति होगी और साथ ही ग्रामीणों और निकट संबंधियों द्वारा अत्याचारग्रस्त की एक भावना से ग्रस्त होगी।

79. यहां ऐसा होता नहीं दिख रहा है। चिकित्सीय साक्ष्य इसे पूरी तरह से नकारते हैं। पीड़िता और उसकी माँ के साक्ष्य इतने अतुल्यकालिक हैं कि वे मूल अभियोजन की कहानी में फिट नहीं होते हैं।

80. इस संदर्भ में, हमें *मसलती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर, 1965. एससी 202)* में सर्वोच्च न्यायालय की यह महान बुद्धिमता याद आती है कि जब एक आपराधिक न्यायालय को एक गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की सराहना करनी होती है, जो पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध है, उसे इस तरह के साक्ष्य का वजन करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है: साक्ष्य में विसंगतियाँ हैं या नहीं; क्या साक्ष्य न्यायालय को वास्तविक प्रतीत होता है या नहीं; क्या साक्ष्य द्वारा प्रकट की गई कहानी संभाव्य है या नहीं।

81. ये सभी ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

82. ये तथ्य, साथ ही द.प्र.सं. की धारा 53(ए) के तहत दिए गए आदेश का पूर्णतः पालन न किए जाने के कारण बचाव पक्ष को

अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का सुझाव देने का अधिकार देते हैं।

83. हम पाते हैं कि साक्ष्य इतने मजबूत नहीं हैं कि अपीलार्थियों को छोटे अपराधों में भी दोषी ठहराया जा सके।

84. इस कारण से हम द.प्र.सं. की धारा 372 के तहत पीड़िता द्वारा की गई अपील को खारिज करते हैं।

85. अलंकरण और अतिशयोक्ति और अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थियों को उन कम गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराना भी सुरक्षित नहीं पाते हैं।

86. अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन को पूरी तरह से गुणहीन पाते हुए, हम अपीलार्थियों के खिलाफ निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हैं और उन्हें सभी आरोपों से बरी करते हैं।

87. याचिकाकर्ता जेल में हैं। यदि उन्हें किसी अन्य मामले में वंचित या हिरासत में नहीं लिया गया है, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

88. 2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 3159 इस प्रकार स्वीकार की जाती है।

89. 2024 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 207 खारिज की जाती है।

90. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और रिकॉर्ड के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

91. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

92. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(राजेश कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति)

कृष्ण/शाहनवाज

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।